

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक-पु0/सू0/केन्द्र/नि0/प्राधिकार-85/2014.....375..... पटना, दिनांक.....09/03/2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार पटना ।

औपचारिक रूप से

परामर्शित द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाइब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) बिहार, पटना को सहायक अनुदान गैर वेतन मद में **रु०-40,00,000=00 (चालीस लाख रुपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति के संबंध में।

उद्देश्य:-

श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाइब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत विषय शीर्ष-0002-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में **रु०-40,00,000=00 (चालीस लाख रुपये)** मात्र की राशि पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंधित की गयी है। सरकार द्वारा इस पुस्तकालय को अधिग्रहण किये जाने के पश्चात् अनेकों सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। उक्त मद में अतिरिक्त उपबंधित राशि से सामग्रियों तथा अन्य आवश्यक कार्यों में सहायक अनुदान वेतन पेंशनादि मद को छोड़कर उपयोग किया जा सकता है। ताकि पुस्तकालय का संचालन सुचारु रूप से कराया जा सके। इस पुस्तकालय में पाठकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध है। कई प्रकार की पाण्डुलिपियाँ एवं ऐतिहासिक पुस्तकें संरक्षित है। पुस्तकालय में प्रतिदिन बड़ी संख्याओं में शोधार्थी एवं पाठकगणों का आगमन होता रहता है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाइब्रेरी (राज्य पुस्तकालय), पटना के लिए स्थापन एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में उपबंध किये गये **रु०-40,00,000=00 (चालीस लाख रुपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

आदेश-स्वीकृत।

महाशय,

2. श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाइब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) बिहार, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में निम्न प्रकार से राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं०	मद	राशि
1.	सहायक अनुदान गैर वेतन 0002-31-06	40,00,000 /-
	कुल :-	40,00,000 /-

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष अन्तर्गत व्यय का विकलन मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2205-कला एवं संस्कृति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105- सार्वजनिक पुस्तकालय, उपशीर्ष-0002-सिन्हा लाईब्रेरी, पटना विपत्र कोड-21-2205-00-105-0002, विषय शीर्ष-0002-31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद अन्तर्गत रू०-40,00,000=00 (चालीस लाख रुपये) मात्र उपबंधित राशि से होगा।

4. उक्त आवंटन को उप निदेशक प्रशासन-सह-बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के द्वारा C.F.M.S 2.0 से आवंटित करते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त राशि निदेशक, पुस्तकालय-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा BTC-42 पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना के माध्यम से Bank Name- BANK OF BARODA, Saving Account No-00030100018204, IFSC CODE-BARBOPATNAX, Branch-Patna MAIN BRANCH, Patna-800001 में तत्काल सुरक्षित रखते हुए RTGS के माध्यम से सिन्हा लाईब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) पटना के बैंक खाते में विहित प्रक्रिया तहत उपलब्ध करायेंगे, साथ ही यह सुनिश्चित हो लेंगे कि इसके पूर्व वित्तीय वर्ष का संबंधित पुस्तकालयों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ली गई है। इसके पश्चात् ही राशि का उपयोग किया जायेगा।

6. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग, वित्त अंकेक्षण विभाग, बिहार एवं महालेखाकार बिहार, पटना को लेखा का अंकेक्षण निरीक्षण करने का अधिकार होगा। पुस्तकालय के संबंधित सचिव इस राशि का लेखा का संधारण अलग से करेंगे।

7. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र (फार्म-42) में विधिवत भरकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण के साथ निर्धारित अवधि में विभाग को समर्पित किया जायेगा, ताकि प्रतिहस्ताक्षरोपरांत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को प्रेषित किया जा सके।

8. 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से करा लिया जायेगा।

9. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प सं०-12888 दिनांक-03.12.2024 के कंडिका-3 और 5 (ख) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है तथा वित्त विभागीय परिपत्र सं०-7355, दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. संचिका संख्या-पु०/सू०/केन्द्र/निदे०/प्राधिकार-85/2014 के पृ०-191-192/टि० पर दिनांक:-26.02.2026 को राशि की निकासी पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. संचिका संख्या-पु0/सू0/केन्द्र/निदे0/प्राधिकार-85/2014 के नोट-71 पर दिनांक:-27.02.2026 को माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

13. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जाय।

14. मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-पु0/सू0/केन्द्र/निदे0/प्राधिकार-85/2014-.....पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

ह०/-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-पु0/सू0/केन्द्र/निदे0/प्राधिकार-85/2014 375 पटना, दिनांक 09/03/2026

प्रतिलिपि :- निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना-सह-प्राधिकृत पदाधिकारी, सिन्हा लाईब्रेरी, पटना/बजट पदाधिकारी/बजट शाखा प्रशाखा-05/लेखा शाखा, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


6-3-26
सरकार के उप सचिव

